उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 456/05 .... /सी-6/ सा-52 ओ०ए० संख्या 116/2014 गोरखपुर 2020 Dated 15/12/2020

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Subject: Regarding Submission of Additional Action Taken Report in compliance of order dt. 16.06.2020 passsed by Hon'ble NGT, New Delhi in OA no- 116/2014, Meera Shukla Vs Municipal Corporation, Gorakhpur & Ors.

Sir,

Please refer the earlier compliance report dt. 14.10.2020 in above mentioned subject. **Additional compliance report in compliance of order dt. 16.06.2020 is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.**

Enclosures: As Above.

Your's Sincerely,

(Ashish Tiwari)
Member Secretary

Copy to: Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-19, Noida, G.B Nagar-201301 for kind information & further necessary action.

Member Secretary

[A]dditional Compliance Report of Hon'ble NGT order dated 16.06.2020 in O.A. No. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & Others

Additional Compliance Report of Hon'ble NGT order dated 16.06.2020 in O.A. No. 116/2014 Meera Shukla Vs. Municipal Corporation Gorakhpur & others are as follows:

Relevant Point of Order	Compliance Status
Regarding illegal electric connections given to units operating without consent or digging of tubewells without permission of Central Groundwater Authority, it has been mentioned by SPCB that the consent to establish an industry will be given only after prior groundwater clearance. It is recommended that since it is an inter-departmental matter, specific instructions may be issued to all the departments by Chief Secretary.	• In compliance of order passed by Hon'ble Tribunal and in pursuant to decision taken by Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh meeting dated 09.07.2020, Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (UPPCL) vide its order dt. 02.11.2020 has made mandatory that the permanent electric connection to the Red & Orange category industries, will be provided only after the valid Consent to Operate under Air & Water Act are issued from the Uttar Pradesh Pollution Control Board. Copy of the said order dt. 02.11.2020 is attached as **Annexure-1** • Central Ground Water Authority (CGWA) has mandated vide it's notification dt. 24.09.2020 that no new bore well will be allowed without it's permission and have laid down the rates of ground water abstractions for various usages. District Magistrates are authorized for imposition of Environmental Compensation in case of default.

Tech. Consultant

14/12/2020
ए० के० तिवारी
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

Annexure - II
Annexure - 1

अरविन्द कुमार
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
ई-मेल – chairmanuppcl@gmail.com
Phone : 0522-2287827 (O)

पत्रांक 1819 / मु0अभि0(वाण0 एवं ऊ0से0) / संयोजन प्रभाग / नि0सि0 दिनांक 02.11.2020

प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0
दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल
आगरा / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ

प्रबन्ध निदेशक
केस्को लि0
कानपुर।

विषय– निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले रेड एवं ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि निवेश मित्र पोर्टल पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं एवं आवेदन सम्बन्धी प्रपत्र भी ऑनलाइन ही अपलोड किए जाते हैं। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति [illegible] बी0आर0ए0पी0 दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर मात्र 03 प्रपत्रों को अपलोड किए जाने का प्राविधान है, जो कि निम्नवत हैं –

1. परिसरों के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य
2. सी0 एण्ड एल0 फॉर्म
3. आवेदक का पहचान पत्र

उक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक [illegible] को सम्पन्न बैठक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्न निर्णय लिया गया है –

"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किए रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाए। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाए..........................."

उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं –

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्रदूषण इण्डेक्स के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एवं व्हाइट कैटेगरी में विभाजित किया गया है। वर्तमान में कुल 89 इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप को रेड कैटेगरी के अन्तर्गत तथा 104 इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप को ऑरेंज कैटेगरी के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, जिसकी सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक जी33335 / सी–6 / सा–52 / ओ.ए.एन.–116 / 2014 / 2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई है एवं आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।
3. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।
4. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप के लिए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र तथा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र की आवश्यकता वर्तमान में निर्धारित उपरोक्त वर्णित तीन प्रपत्रों के अतिरिक्त होगी।
5. इस सम्बन्ध में यह वांछित है कि अस्थाई / स्थाई संयोजन निर्गत करने वाले प्रत्येक अधिकारी उपरोक्त श्रेणी वर्गीकरण तथा इसकी सूची से भिज्ञ होते हुए संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही करें।

6. उ0प्र0पा0का0लि0 के आई0टी0 विंग द्वारा इस निर्णय को पोर्टल पर इण्टीग्रेट करने के लिए प्रस्ताव निर्धारित किया जाएगा तथा उद्योग बन्धु से समन्वय करते हुए इसे क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक: 7012/मु0अभि0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 तद्दिनांक - 2.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
5. अधीक्षण अभियन्ता, आई0टी0 विंग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष